लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, शनिवार 18 मार्च 1967/27 फाल्गुन, 1888 (शक)

No. 3, Saturday March 18, 1967/Phalguna 27, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Members Sworn	35
सभा की कार्य के बारे में	Re. Business of the House	35
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया	President's Address—Laid on the Table	36
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	36
स्थगन प्रस्तावों तथा अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में	Re. Motions for Adjournment and No-Confidence Motion	37-41
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	42-43
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1966-67	Demands for Supplementary Grants (General) 1966-67	44
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (गोआ, दमण और दीव), 1966-67	Demands for Supplementary Grants (Goa,Daman and Diu), 1966-67	44
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेलवे) 1966-67	Demands for Supplementary Grants (Railways) 1966-67	44
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills	44
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	
एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन	Hundred and Thirteenth Report	45
योजना समितियों की कार्यवाही का सारांश	Synopsis of Proceedings of Plan Committees	46
विधेयक पुरःस्थापित	**Bills Introduced**	
1. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक	Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill	46
2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	46
3. भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक	Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill	47
अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य	Statements Re. Ordinances	
1. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश	Representations of the People (Amendment) Ordinance.	46
2. भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश	Land Acquisition (Amendment and Validation) Ordinance	47
आपात स्थिति की समाप्ति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Termination of Emergency	48
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	48-61
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	48-50
सभापतियों की तालिका के बारे में घोषणा	Announcement Re. Panel of Chairman	50
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar	50
डा० कर्णीसिंहजी	Dr. Karni Singh	51-53
श्री कृष्णकुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	53
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	53
श्री शान्तिलाल शाह	Shri Shantilal Shah	54
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	55
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	55
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया	Shri Jagannath Prasad Pahadia	56
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	57
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	57
श्री देवकी नन्दन पटोदिया	Shri D. N. Pataudia	58
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	59

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार 18 **मार्च**, 1967 / 27 **फाल्गुन**, 1888 (**शक**)
Saturday March 18, 1967 / **Phalguna**, 27, 1888 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBERS SWORN

अध्यक्ष महोदय : सचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है।

श्रीमती गिरजा कुमारी (शाहडोल)* [हिन्दी]
श्री मजहरी महाटो (पुरुलिया) [बंगला]

सभा के कार्य के बारे में
RE : BUISINESS OF THE HOUSE

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज क्योंकि सप्ताह का अन्तिम दिवस है इसलिये संसदकार्य मंत्री को अगले के कार्य के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए था। आप की कार्य सूची में अगले सप्ताह के कार्य का कोई उल्लेख नहीं है। हम उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं।

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची सभा में पेश की जायेगी। पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण को लिया जायेगा। उसके पश्चात धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा तथा पास किया जायेगा। तत्पश्चात लेखानुदान लिया जायेगा।

---

*सदस्य के नाम के आगे दी गई भाषा इस बात की द्योतक है कि सदस्य ने उसी भाषा में शपथ ली थी।

*The language shown against the name of a Member indicates that he took oath in that language.

राष्ट्रपति का अभिभाषण
PRESIDENT'S ADDRESS

सचिव : मैं 18 मार्च, 1967 को संसद् की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण * की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी० 1/67]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को अपने आठ सहयोगियों अर्थात सदाशिव गोविन्द बर्वे, डा० गोपीचन्द भार्गव, डा० लंका सुन्दरम, श्री राधेलाल व्यास, श्री अलगू राय शास्त्री, श्री सादत्त अली खां, श्रीमती विमला देवी और श्री अ० कु० चन्दा के दुखद निधन के बारे में सूचना देता हूँ।

श्री सदाशिव गोविन्द बर्वे महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व बम्बई चुनाव क्षेत्र से इस सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 6 मार्च, 1967 को 52 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

डा० गोपीचन्द भार्गव 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। 26 दिसम्बर, 1966 को 78 वर्ष की आयु में चन्डीगढ़ में उनका देहान्त हो गया।

डा० लंका सुन्दरम प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। 8 जनवरी, 1967 को नई दिल्ली में 63 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री राधे लाल व्यास अस्थाई संसद्, प्रथम लोक सभा, द्वितीय लोक सभा तथा तृतीय लोक सभा के सदस्य थे। 13 जनवरी, 1967 को इन्दौर में 59 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री अलगू राय शास्त्री, संविधान सभा, अन्तरीम पार्लियामेंट तथा प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। 12 फरवरी 1967 को लखनऊ में 67 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्री सादत्त अली खाँ प्रथम तथा द्वितीय लोक सभा के सदस्य थे। 23 फरवरी, 1967 को नई दिल्ली में 51 वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया।

श्रीमती विमला देवी तीसरी लोकसभा की सदस्य थीं। 1 मार्च, 1967 को 43 वर्ष की आयु में एलुस में उनका देहान्त हो गया।

श्री अ० कु० चन्दा 1937-39 के दौरान भारत की केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। 14 मार्च, 1967 को 74 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका देहान्त हो गया।

हमें इन सभी मित्रों के निधन पर गहरा दुख है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदन संदेश देने के लिये यह सभा मेरे साथ सहमत है।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं उन आठ संसदविज्ञों के प्रति श्रद्धा प्रगट करती हूं जिनका गत अन्तरसमावधि में देहान्त हो गया है।

---

*अभिभाषण का पाठ, हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, लोक-सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण में दिया हुआ है।

The text of the address in both Hindi and English appears in the Original Version of Lok Sabha Debates.

डा० गोपीचन्द भार्गव स्वतंत्रता के एक पुराने सेनानी थे। वह ला० लाजपतराय के अनुयायी थे तथा उन्होंने हरीजन तथा खादी आन्दोलन में विशेष कार्य किया था।

श्री अलगू राय शास्त्री भी स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित थे और उन्होंने कृषि समुदायों के सुधार के लिये कार्य किया। दोनों ने अन्य भी कई क्षेत्रों में काम किया है।

डा० लंका सुन्दरम और श्री सादत्त अली खां भी योग्य संसद्विज्ञ थे। डा० लंका सुन्दरम एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री तथा लेखक थे। श्री सादत्त अली खां लेखक, पत्रकार तथा कवि थे। दोनों ने राजनीति में भी अच्छा कार्य किया है।

श्री राधेलाल व्यास तथा श्रीमती विमला देवी तीसरी लोक सभा में हमारे साथ थे। वह उत्साहपूर्ण तथा योग्य थीं और उन्होंने सभा की कार्यवाही में सदा सक्रियरूप से भाग लिया है। श्री राधेलाल व्यास पुराने दिनों की देसी रियासतों में संविधान के सुधार में विशेषकर रुचिकर थे। वह सभा की कई महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे।

श्री सदाशिव गोविन्द बर्वे योजना आयोग के सदस्य थे। वह एक अर्थशास्त्री तथा योग्य प्रशासक थे।

श्री अ० कु० चन्दा बंगाल में दो पीढ़ियों के विचारों को प्रभावित करने वाले महान् अध्यापक थे।

श्री मि० रू० मसानी (राजकोट) : मैं सभी सदस्यों की ओर से आपके तथा सभा की नेता द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं से सहमति प्रगट करता हूँ। सारी सभा उनकी दुखद मृत्यु से शोक प्रगट करती है।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे।

(इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े रहे।)

(The Members then stood in silence for a short while.)

स्थगन प्रस्तावों तथा अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND NO-CONFIDENCE MOTION

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमने राजस्थान के मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं। इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति को चिन्ता है। सरकार ने बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण से कार्यवाही की है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की है जिसने कि विरोधी दलों को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया है। मेरे विचार में सरकार की निन्दा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का यह सब से अच्छा अवसर है। मुझे आशा है कि अध्यक्ष महोदय तीन बजे के लगभग इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order in regard to the List of Business. I would like to draw your attention towards the consequences if the adjournment motion or no-confidence are not taken up to-day. In rule 31 (1) it is provided as follows :

"31 (1) सचिव प्रत्येक दिन के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध की जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, अध्यक्ष की अनुमति के

बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन कार्यसूची में सम्मिलित न हो।"

I would also like to draw your attention towards direction No. 2 which reads as follows:

(2) यदि किसी विशिष्ट अवसर पर अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें तो सभा के समक्ष कार्य के निम्न निर्दिष्ट वर्गों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता निम्नलिखित क्रम में होगी अर्थात

(एक) शपथ या प्रतिज्ञान

This has already been done.

(दो) निधन सम्बन्धी उल्लेख

This item is also over.

(तीन) प्रश्न

There were no questions today.

(चार) ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं

(पांच) सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति

Motion of no-confidence is also included in it. So far as I know some motions were there before ten O'clock on the 15th. Sri Atal Bihari Vajpayee, leader of the Jan Sangh has also given notice of the no-confidence motion. One no-confidence motion also stands in my name and in the name of the deputy leader of my party. If you will not act according to this practice then the notice of the motion of no-confidence given by Shri Atal Bihari Vajpayee will be against the Rules because according to rule 198 that has to be taken first after the Question Hour. A Member asking for leave shall, before the commencement of the sitting for the day, give to the Secretary a written notice of the motion which he proposes to move. I, therefore request you to take up all the three motions notices for which have been given.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसी प्रथा स्थापित की गई है कि जिस दिन सभा के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण हो उस दिन आमतौर पर स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं को अनुमति नहीं दी जाती। परन्तु अब जबकि हमने कई परिवर्तन कर दिये हैं मेरा निवेदन है कि राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास के प्रस्तावों को आज ही लेने की अनुमति दी जाये।

डा० कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने सम्बन्धी प्रश्न एक अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है। इस विषय पर विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा तथा मैंने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं। राजस्थान में लोगों के साथ अन्याय किया गया है तथा मेरे विचार में वहां पर स्थिति ऐसी है कि इस पर इस सभा में तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह कहना ठीक नहीं है कि आज हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्यसूची को देखने से पता लगता है कि सभा आम दिनों की तरह ही आज भी कार्य करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अन्य मदों को लेने से पूर्व अविश्वास के प्रस्ताव को लिया जाये।

श्री हेम बरुआ (मंगलादई) : राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

यह कहना उचित नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात सभा कोई कार्य नहीं कर

रही है क्योंकि कार्यसूची में बहुत सा कार्य दिखाया गया है। इससे पता लगता है कि सभा आज भी आम दिनों की तरह ही कार्य करेगी। राजस्थान में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि सरकार द्वारा लोगों पर हिंसा का प्रयोग किया गया है। इसलिए मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों पर आज चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

श्री क० लक्कपा (तुमकुर) : राजस्थान सांवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : पहले भी ऐसे अवसर पर प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जा चुकी है। राजस्थान में संसदीय लोकतन्त्र के विरुद्ध कार्य किया गया है और इससे समूचे देश के लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो गई हैं। इस लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी और श्री लिमये की ओर से मुझे अविश्वास के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं व्यक्तिगतरूप से एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथा सरकार को इस प्रस्ताव को लेने में कोई आपत्ति नहीं है और इस प्रस्ताव को यथा सम्भव शीघ्र लिया जायेगा। इसलिए स्थगन प्रस्ताव को तुरन्त लेना आवश्यक नहीं है। इनको बाद में भी लिया जा सकता है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अविश्वाप के प्रस्ताव पर चर्चा के समय किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। स्थगन प्रस्ताव पर बोलते समय सदस्य विशेष रूप से राजस्थान के मामले पर प्रकाश डाल सकते हैं। हम केवल उसी मामले पर स्वयं को सीमित रखेंगे अतः स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जाये।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would request that Calling Attention Motion should be taken up immediately. Afterwards adjournment motions should be given pririty over the no-confidence motion.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi_Sadar) : I have given no-confidence motion on the specific issue of imposing President's rule in Rajasthan. I would request you to take up no-confidence immediately.

श्री दत्तात्रये काशीनाथ कुन्टे (कोलाबा) : अविश्वास का प्रस्ताव लेने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। स्थगन प्रस्ताव एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर है इसलिये इसको पहले लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी से निवेदन करूँगा कि वह अपना अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जो सदस्य इस प्रस्ताव को लिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें इस की अनुमति दी जाती है क्योंकि पक्ष में 50 से अधिक सदस्य हैं। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह बतायें कि कब इस प्रस्ताव को लिया जा सकता है।

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अभी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रस्तावक सहमत हों तो इस प्रस्ताव को सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तुरन्त पश्चात लिया जा सकता है।

Sri Ram Sewak Yadav : You have not given any ruling about adjournment motion. I request you to take it separately as it relates to a specific matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री वाजपेयी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव दिया है वह विशेष रूप से राजस्थान के बारे में है। मेरा स्थगन प्रस्ताव अथवा अन्य स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव बहुत से दूसरे मामलों के बारे में हैं। इसलिए इन को स्थगित कर दिया जाये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अब जबकि बहुत सी बातें उठाई गई हैं मेरे विचार में चर्चा को किसी विशेष मामले तक सीमित नहीं रखा जा सकता। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन पर्याप्त है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : एक दिन पर्याप्त नहीं होगा।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : A Serious situation has developed in Uttar Pradesh because ministry has been formed against the rules. Prices of all commodities especially foodgrains are going up. I would, therefore, request you to take up the adjournment motion relating to U. P.

Shri D. N. Tiwary (Gopal Ganj) : Both the no-Confidence and adjournment motions relate to the same issue. It is, therefore, no use of having the discussion twice. The hon. Members can take the matters relating to U. P. during the course of discussion on no-confidence motion.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : On one earlier occassion the chair gave a ruling in a similar situation that during the discussion on no-confidence motion all matters can be taken up and that it is not necessary to discuss these things again in adjournment motions. Therefore, I think only no-confidence motion should be taken up.

श्री पी० राममूर्ती (मदुरै) : यद्यपि इस अविश्वास के प्रस्ताव का विषय राजस्थान के प्रश्न तक ही सीमित है तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि वाद-विवाद के समय सदस्य अन्य प्रश्न नहीं उठा सकेंगे। इसलिये यह कहना कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद आज ही समाप्त करना होगा सदस्यों से अन्याय करने के समान है क्योंकि इससे सदस्य अन्य मामले नहीं उठा सकेंगे जो कि वे उठाना चाहते हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि वाद-विवाद का समय बढ़ा दिया जाये।

Shri Shiv Narain (Basti) : When no-confidence motion has been accepted, no other motion should be taken up.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : More time should be allotted for the discussion of the no-confidence motion. It should be atleast 30 hours.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : It is now quite evident that the opposition has a majority in the Rajasthan Assembly. I shall be glad if hon. Prime Minister realises her mistake and declares that opposition will form the ministry. It will solve all the problem.

Sri George Fernandes (Bombay-South). On page 34 in the Handbook for Members it is stated that where the Speaker is satisfied **primafacie** that the matter proposed to be discussed is in order under the rules, he will give his consent to the moving of the motion and at the appropriate time call upon the member concerned. Now it is quite evident from the discussion on the Rajasthan issue that it is an important matter. It is also

quite clear from the acceptance of the no-confidence motion. I would, therefore, request you to take the adjournment motion on the subject and allow discussion on it.

श्री खाडिलकर (खेड़) : जो कुछ हैंड बुक फार मैम्बर्स में दिया हुआ है, केवल उसको ही नहीं लिया जाता बल्कि सभा की परम्परायें और विनिर्णय भी प्रक्रिया का एक भाग बन जाते हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष ने पहले ही इस बारे में एक विनिर्णय दिया हुआ है कि यदि स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास के विषय के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया हो तो सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव तथा अविश्वास के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जायेगा। परन्तु अविश्वास के प्रस्ताव में किसी भी विषय को लिया जा सकता है। अब जब कि अविश्वास के प्रस्ताव को ले लिया गया है तो किसी अन्य स्थगन प्रस्ताव को लेने की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमारे प्रधान मंत्री ने विरोधी दल की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि अविश्वास के प्रस्ताव को तत्काल लिया जाये। इसके पश्चात स्थगन प्रस्ताव को लेने का कोई प्रश्न नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय निश्चय ही राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का उल्लेख किया जायेगा। इसलिये मेरे विचार में स्थगन प्रस्ताव को छोड़ कर अविश्वास के प्रस्ताव को तुरन्त लिया जाना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : प्रस्ताव में जो भाषा प्रयोग की गई है वह यह है कि सभा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करती है। इससे स्पष्ट है कि कार्य क्षेत्र सीमित नहीं रखा गया है और कि सदस्य कोई भी बात उठा सकते हैं और इस प्रस्ताव को उचित ठहराने के लिये कुछ भी तर्क दे सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि लोकतंत्र के साथ धोखा किया गया है। इसलिये मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिये एक दिन का समय बहुत कम है। कम से कम दो दिन का समय अवश्य दिया जाना चाहिए।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सभा में दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक समय बढ़ाने के बारे में तथा दूसरा प्रश्न है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाये। पहले प्रश्न के बारे में तो सभा के नेता के परामर्श से अध्यक्ष को निर्णय देना है परन्तु यहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है नियम में यह दिया गया है कि यदि उस विषय पर पहले कोई प्रस्ताव हो तो प्रस्ताव को नहीं लिया जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा के समय अन्य मामले भी उठाये जा सकते हैं। इसलिये मेरे विचार में स्थगन पर चर्चा करना समय का अपव्यय करना होगा। अब जबकि अविश्वास के प्रस्ताव को ले लिया गया है किसी अन्य प्रस्ताव पर चर्चा उठाना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस चर्चा पर समय नष्ट करने के बजाय अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो यह चर्चा अगले दिन भी जारी रह सकती है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय आपके विनिर्णय से यह बात स्पष्ट नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव के लिये जो सूचना दी गई है उनका क्या बनेगा।

अध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर अलग से विचार किया जायेगा। अभी मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि): जब तक चर्चा के लिये समय निर्धारित नहीं किया जाता

तब तक यह नियत करना कठिन होगा कि प्रत्येक सदस्य तथा ग्रुप को कितना समय मिला है। जिन सदस्यों को पहले बोलने का अवसर मिलेगा वही समस्त समय ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सोमवार को भी चर्चा जारी रहेगी।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद कार्य मन्त्री तथा संचार मन्त्री (डा. राम सुभग सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 12) जो राष्ट्रपति द्वारा 15 दिसम्बर, 1966 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 2/67]

(दो) अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 13) जो राष्ट्रपति द्वारा 23 दिसम्बर, 1966 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 3/67]

(तीन) भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 1) जो राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 4/67]

(चार) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1967 (1967 का संख्या 2) जो राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 1967 को प्रख्यापित किया गया था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 5/67]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

(एक) जी० एस० आर० 1779 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) जी० एस० आर० 1832 जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1878 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) जी० एस० आर० 1882 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रका-

शित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित जी० एस० आर० 1270 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1913 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु एवं निवृत्ति लाभ) (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1915 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवायें पेंशनों की संगणना (संशोधन) विनियम, 1966 जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1916 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) जी० एस० आर० 1956 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गए।

(नौ) जी० एस० आर० 1967 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(दस) अखिल भारतीय सेवायें (प्रतिकर भत्ता) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1958 में प्रकाशितहुए थे।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1990 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(बारह) जी० एस० आर० 1992 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(तेरह) जी० एस० आर० 1913 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 66 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 69 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(सोलह) जी० एस० आर० 70 जो दिनांक 21 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये।

(सत्रह) जी० एस० आर० 136 जो दिनांक 4 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 137 जो दिनांक 4 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 6/67]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 6 मार्च, 1967 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति जिसके द्वारा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रति संहरण किया गया तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356 के खन्ड (3) के अन्तर्गत दिनांक 6 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 298 में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 7/67]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1966-67

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्तमन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं वर्ष 1966-67 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगे दिखाने वाला विवरण उपस्थापित करता हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गोवा, दमण और दीव), 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS GOA, DAMAN AND DIEU), 1966-67

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) मैं वर्ष 1966-67 के लिए गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य-क्षेत्र सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1966-67

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS) 1966-67

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) मैं वर्ष 1966-67 बजट (रेलवे) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगे दिखाने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

विधयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं तीसरी लोक सभा के सोलहवें सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित दल विधेयक, जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है, सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) केरल विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966
(2) केरल विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966
(3) केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966
(4) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1966
(5) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1966
(6) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966
(7) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966
(8) उपज कर (संशोधन) विधेयक, 1966
(9) भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1966
(10) चिकित्सा शिक्षा और अनुसन्धान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, विधेयक, 1966

(2) मैं तीसरी लोकसभा के सोलहवें सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित चौदह विधेयकों की, जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियाँ भी सभापटल पर रखता हूँ :—

(1) बीड़ी एवं चुरुट कार्मिक (नियोजन की शर्तें) विधेयक, 1966
(2) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1966
(3) दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (विद्युत्कर की विधिमान्यता) विधेयक, 1966
(4) मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1966
(5) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1966
(6) संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1966
(7) गोवा, दमण और दीव (राय मतदान) विधेयक, 1966
(8) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1966
(9) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966
(10) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, 1966
(11) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966
(12) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1966
(13) संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966
(14) बीज विधेयक, 1966

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन

सचिव : अध्यक्ष के निदेश संख्या 71 क के खंड (7) की शर्तों के अनुसार पहिले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के सम्बन्ध में, प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 113वाँ प्रतिवेदन 2 मार्च, 1967 को प्राक्कलन समिति (1966-67) के सभापति द्वारा अध्यक्ष महोदय को दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय के निदेश संख्या 71 के के खंड (6) के अनुसार मैं प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

योजना समितियों की कार्यवाही का सारांश

SYNOPSIS OF PROCEEDINGS OF PLAN COMMITTEES

सचिव : मैं चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सम्बन्धी तीसरी लोकसभा की निम्नलिखित समितियों की कार्यवाहियों के सारांश की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(1) समिति 'ए' (नीति, संसाधान तथा आवंटन) ;

(2) समिति 'सी' (कृषि तथा ग्राम-अर्थ-व्यवस्था) ;

(3) समिति 'डी' (सामाजिक सेवायें) ; और

(4) समिति 'ई' (शिक्षा तथा जन-शक्ति आयोजन)।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 8/67)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) जारी रखना विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

विदेश कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 को अग्रतर अवधि के लिए जारी रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) विनियम, 1958 को अग्रेतर अवधि के लिए जारी रखनेवाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री मु० क० चागला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) क्या कारण है कि विदेश कार्य मन्त्री इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं। क्या नागालैंड तथा अन्य बातें अभी तक विदेश कार्य विभाग के पास ही हैं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL.

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री गोविन्द मेनन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ।

(**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये** संख्या एल० टी० 9/67)

भूमि अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक

LAND ACQUISITION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : मै प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के कतिपय अर्जनों के मान्यकरण सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह विधेयक सदस्यों को परिचालित किया गया है। इसके साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक प्रति भी दी जानी चाहिए थी। मेरा निवेदन है कि उक्त प्रति भी सदस्यों को दी जाये ताकि वे समस्त मामले को समझ सकें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्रतियां यहाँ भी रखी जायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में अग्रेतर संशोधन करने तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के कतिपय अर्जनों के मान्यकरण सम्बन्धी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री शिन्दे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शिन्दे) : मै लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अनुसार भूमि

अर्जन (संशोधन तथा मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ ।

(पुस्तकालय में रखी गयी देखिये । संख्या एल० टी० 9/67)

आपात-स्थिति की समाप्ति के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING TERMINATION OF EMERGENCY

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार ने वैसे तो आपात शक्तियों को पहले ही कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था, अब समूची स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया है । अत: देश के कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ कि अभी भी असाधारण परिस्थितियाँ हैं शेष मामलों में 1 जुलाई 1967 से आपात की स्थिति समाप्त करने के लिये आवश्यक सांविधिक प्राधिकार लेने का इरादा है ।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव
MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : आज की कार्यसूची के अनुसार आज का कार्य समाप्त हो चुका है । हम अविश्वास के प्रस्ताव को सोमवार ले सकते हैं । मेरा सुझाव है कि प्रस्तावक को आज बोलने के लिये कहा जाये परन्तु जहां तक अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है उनके लिये सोमवार निर्धारित किया जाये ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : मेरा सुझाव है कि राजस्थान के सदस्यों को पहले बोलने का अवसर दिया जाय क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव मुख्यता राजस्थान के बारे में ही है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : प्रथा यह है कि सामान्य दैनिक कार्य के पश्चात सभा स्थगित कर दी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : हम सब ही अविश्वास के प्रस्ताव को आज ही लेने पर सहमत हुए हैं । सोमवार को भी इस पर चर्चा की जायेगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I beg to move :

"that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The people of Rajasthan have indicated their faith in the parliamentary system of democracy in the general elections. But the Central Government have deprived them of their democratic rights by imposing Presidential rule in Rajasthan. The Rajasthan Legislative Assembly has been suspended and thus a blow has been caused to the democratic system. A new situation has developed in the country after the general elections. It was, therefore, quite necessary for the Government to create essential atmosphere to suit that development. The wishes of the people have neither been respected in Rajasthan nor in U. P. whereas in other parts of the country ministries have been formed according to results of the elections, people in Rajasthan have been deprived of forming the Government. People have rejected Congress in Rajasthan. People from all walks of life and all newspapers in India without exception have severely criticised the Government for this act of imposing Presidential Rule in

Rajasthan. The trouble in Rajasthan started when the Governor invited the leader of the biggest party to form the Government. There was no justification in doing so. Congress has secured only 30%, votes in Rajasthan whereas opposition parties have secured 70%, votes. It is therefore, clear that people have rejected the Congress. Governor should have invited the opposition parties to form the Government, who have organised themselves into a single party and have also elected their leader.

The Governor while inviting the leader of the Congress Party said that he does not feel it necessary to count the independent Members on either side. May I say Sir, that in 1962 Congress could form the Government in Rajasthan only with the help of independent Members. But in 1967 they were not counted on either side because they were with the opposition. In this way Governor called the leader of the Congress Party and its repercussions were inevitable. The people staged a peaceful demonstration. But Government imposed section 144 to prevent the people from doing so. Leaders of all the opposition parties were arrested and sent to jail. That caused more resentment among the people.

Afterwards it was announced by the All India Radio that Section 144 has been removed in Jaipur. On hearing this people gathered on the roads. Police used force to disperse them which also resulted in firing . This happened on the 7th March. I am glad that Government have agreed to hold judicial inquiry into the causes which led to firing. I deny the allegation that oposition parties have any hand in trouble.

When Shri Sukhadia informed the Government that he was not in a position to form the Government, the Governor should have invited the leader of the Samyukt Dal. The plea taken is that conditions were not conducive for the formation of Government. Had the Congress Party been in a position to form the Government, then the conditions would have been normal. In this way the Governor has not been impartial. I want that the Report of the Governor should be laid on the table of the House. We would then come to know about the facts. The Central Government should not have agreed with the Governor and allowed the Samyukta Dal to form a Government. The people of Rajasthan have been denied their constitutional rights. Now it is not only the question of Rajasthan. We doubt if congress Party will allow the non-Congress Governments to function effectively. You can see wherever non-congress Governments have been formed, people have shown their jubilation and happiness, but in Rajasthan where Congress was invited, police firing took place, many persons lost their lives.

It is for the first time that members of Legislative Assembly were presented to the President to prove the majority of the Opposition Party. I want that the constitution should be suitably amended and a provision should be made to impeach the Governor, in case he acts in an unconstitutional manner.

It is high time that popular Government is installed in Government. Now there is perfect peace and harmony there. We cannot allow the violation of constitution. We would fight against high handedness. It is said that the opposition parties could have a trial of strength in the Assembly. This equally applies to the Congress Party. In fact that Shri Sukhadia was given time and opporturity to lure away some independent members. It is not proper. Then the Governor took about twelve days in deciding as to who should be invited to form the Ministry.

I want that the hon. Minister should visit Rajasthan and see the conditions there. The Central Government should see that there is great change after the fourth election and the appointments of Governors should be on proper basis. The Prime Minister's promise of fair deal with non-Congress Government should be fully honoured.

In U. P. also partiality has been shown to the Congress Party. Congress had only 198 seats in a house of 425 seats. In this the wishes of people have been disrespected. It isat the instance of Central Government. Taking into consideration all the Central Govern-

ment should be thrown out of office. I present my motion of no-confidence in the Council of Ministers.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अपने अविश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, मैं निम्न सदस्यों को सभापति तालिका में रखने की घोषणा करता हूँ :—

श्री द० स० राजू

श्री प्र० के० देव

श्री मनोहरन

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव जारी
MOTION OF NO-CONIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS CONTD.

श्री खाडिलकर (खेड) : इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव को हास्यास्पद बना दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि स्वतन्त्र पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रही है। प्रतिपक्ष वालों को यह बात जान लेनी चाहिये कि कांग्रेस पार्टी का यहां पर बहुमत है और इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। यदि ये लोग चाहते हैं कि सभी राज्यों सरकारें संवैधानिक ढंग से कार्य करें तो इनको यहां पर हमें पूरा-पूरा सहयोग देना होगा। आम चुनाव के बाद अभी-अभी सरकार बनी है हमें इस सरकार को कुछ समय देना चाहिये।

[श्री द० स० राजू पीठासीन हुए
SHRI D. S. RAJU *in the Chair*]

राजस्थान के सम्बन्ध में हमें संविधान के अनुच्छेद 356 का अध्ययन करना होगा। राज्यपाल ने जब विधान सभा के सत्र की तिथि आगे की तो गड़बड़ क्यों कराई गयी? राज्यपाल ने वहाँ की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय किया था। खेद की बात है कि प्रतिपक्ष वालों ने संवैधानिक तरीकों का सम्मान नहीं किया और सड़कों पर दंगे कराकर सरकार को बाध्य कर दिया कि राष्ट्रपति का राज लागू करे।

उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेसी विधायक की हत्या कर दी गई है। इस प्रकार के हथकन्डे बहुत घृणास्पद हैं। हमें भाषणों के बहाव में नहीं बह जाना चाहिये और वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। राजस्थान में पुलिस को गोली चलाने पर बाध्य किसने किया था?

हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष वाले अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और संवैधानिक तरीकों से कार्य करें। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को देखना होता है कि सभी राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था ठीक ढंग से चलती है। सरकार ने कह भी दिया है कि राष्ट्रपति का राज अल्प काल के लिये है। चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इसलिये केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है।

हमें राज्यपाल पर भी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिये। बहुत से राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी हैं। राजस्थान की स्थिति ही विचित्र थी। अतः वहां के राज्यपाल को स्थिति के अनुसार कार्य करना था। वहां पर प्रतिपक्ष वाले गड़बड़ करने पर तुल गये थे। इसलिये केन्द्रीय सरकार को वहां राज राष्ट्रपति के अधीन करना पड़ा। इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना युक्तिसंगत नहीं मालूम होता है। विरोधी दल के गठबन्धन परस्पर सुविधा के आधार पर होते हैं। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता का एकदम परित्याग कर दिया है। (व्यवधान)

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : You cannot say this as you yourself had been in alliance with Mulsim League and Gantantra Parishad.

श्री खाडिलकर : जहाँ तक राजस्थान की घटनाओं का सम्बन्ध है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी पहले ही न्यायिक जांच हो रही है। जहाँ तक राज्यपाल की रिपोर्ट तथा आपात स्थिति की घोषणा का सम्बन्ध है, मेरे विचार में यह पूर्णतया संवैधानिक है। राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी वह सही थी और उस पर कार्यवाही करना संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य था। श्री वाजपेयी ने पिछले सत्र में 7 नवम्बर की घटना का उल्लेख किया था। इस घटना के लिए तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार को यह भरोसा दिलाया गया था कि प्रदर्शन शान्तिपूर्वक होगा परन्तु निर्वाचन निकट होने के कारण इसके पीछे कोई और साजिश चल रही थी। वे तनाव का वातावरण बनाना चाहते थे जिससे देश में हलचल मच जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस बात की रिपोर्ट कहां है ?

श्री खाडिलकर : उस दिन जो कुछ हुआ उसका उत्तरदायित्व प्रदर्शन के संचालकों पर है और उन्हें इस बात की शर्म आनी चाहिए।

डा० कर्णी सिंह जी (बीकानेर) : मैं पिछले दस वर्ष से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं सदा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से प्रत्येक घटना को समझना चाहता हूँ। परन्तु इस बार स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध आवाज उठाये बिना हम नहीं रह सकते। मेरा विचार था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी जायगी। इसका कारण यह था कि राजस्थान विधान सभा के लिए चुने गए 93 सदस्य पहले ही राष्ट्रपति से साक्षातकार कर चुके हैं। (व्यवधान) सरकार ने राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित बनाने का प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है जो उचित नहीं है। यह सरकार में सुशासन की योग्यता के अभाव का द्योतक है। (व्यवधान) राजस्थान में पहले भी 1952 तथा 1962 में कांग्रेस तथा विरोधी दल के लगभग बराबर सदस्य ही विजयी रहते रहे हैं। इस बार विरोधी दल का पलड़ा कुछ भारी रहा है। कुछ भी हो, जब राज्यपाल ने कांग्रेस दल द्वारा सरकार बनाने का निश्चय कर लिया था तो वह उस सरकार को बनने देते चाहे वह बाद में लुढ़क जाती। परन्तु राज्यपाल द्वारा कानून और व्यवस्था भंग हो जाने का बहाना बना कर राष्ट्रपति का शासन लागू करना बहुत ही खेद जनक बात है। यह प्रजातंत्र के नाम पर बट्टा है और संविधान के प्रति धोका है। राजस्थान में गोली चलाने का उत्तरदायित्व भी विरोधी दल पर बताया गया है। जब लाखों लोगों के मन में उत्तेजना होती है तो ऐसी घटना का संचालक कोई भी हो सकता है परन्तु राष्ट्रपति का शासन लागु करना सब से बुरी बात है। मुझे पता चला है कि गोली-

कांड में निरीह बच्चे भी मारे गए। कुछ विद्यार्थी भी जेल में बन्द कर दिए गए। मेरे विचार में एक कल्याणकारी राज्य में यह सब बातें निन्दनीय हैं।

जब सदन में दो दलों की संख्या बराबर होती है तो राजनैतिक दल दूसरे दल के सदस्यों को अपने दल में मिलाने का प्रयास करते ही हैं परन्तु राजस्थान में तो इस सौदेबाजी में कांग्रेस के नेता स्वयं लगे हुए हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि किस दल का वहाँ बहुमत है। हमें पता चला है कि राज्यपाल ने निर्दलीय सदस्यों की, जिन्होंने संयुक्त दल में शामिल होने की सहमति प्रकट की थी, उपेक्षा कर दी है और मै यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह बात बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि निर्दलीय सदस्य किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं। हमें आशा है कि राजस्थान में शीघ्र ही प्रजातंत्र की स्थापना होगी। राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन का एक कारण गोली चलना बताया गया है। परन्तु क्या जहाँ-जहाँ कांग्रेस राज्य है वहां गोली चलने के बाद तत्काल राष्ट्रपति के शासन की घोषणा की जायेगी। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अप्रजातांत्रिक कार्यवाही के फलस्वरूप ही लोगों ने यह रोष प्रकट किया था। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व समान है। राजाओं और महराजाओं का युग समाप्त हो चुका है। परन्तु क्या मैं कह सकता हूँ कि श्रीमती गान्धी का कांग्रेस दल का नेता चुना जाना भी एक तरह से उसी प्रथा का पालन है क्योंकि वह श्री जवाहर लाल नेहरू की पुत्री हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मोरार जी देसाई आज प्रधान मंत्री होते। मैं यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जब भी कांग्रेस दल के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उसकी जांच केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए।

मैं सभा के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूँ वह यह कि सभी दलों की ओर से एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के हालात जानने के लिए वहाँ भेजा जाना चाहिए जो सभा को राष्ट्रपति के शासन के औचित्य पर अपनी रिपोर्ट दे। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब भी राष्ट्रपति के शासन की घोषणा का प्रश्न सभा के सामने हो, काँग्रेस दल के नेता को सचेतक का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि कांग्रेस के सदस्य स्वतंत्र रूप से अपना मत व्यक्त कर सकें।

कुछ राज्यों में विरोधी गुट की सरकारें बन गई हैं और यह प्रजातंत्र का एक स्वस्थ चिन्ह है। अब विरोधी दलों को भूख ग़रीबी, बेकारी, कीमतों का बढ़ना आदि कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा कि एक ओर तो उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और दूसरी ओर जनसंख्या में कमी की जानी चाहिए।

यह बड़े संतोष की बात है कि विरोधी दल के सदस्य अधिक संख्या में लोक सभा के लिए चुने गए हैं। मेरे विचार में तो अब वामपक्षी तथा दक्षिण पक्षी दो गुट बन जाने चाहिए। ताकि शासक दल तथा विरोधी दल दोनों ही मजबूत दल बन सकें। (व्यवधान) मुझे आशा है कि आगामी चुनावों में विरोधी दल के सदस्यों की इतनी संख्या हो जायगी कि वह शासन बना सकेगा। यदि काँग्रेस के कुछ सदस्य राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को ग़लत करार दें और विरोधी दल में शामिल हो जांय तो यह काम जल्दी भी हो सकता है। अन्त में मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं श्री वाजपेयी के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरे विचार में राजस्थान के राज्यपाल ने जो कार्यवाही की है वह सही भी है और संवैधानिक भी है। श्री सुखाड़िया से, जो बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, सरकार बनाने के लिए कहा गया। परन्तु क्योंकि विरोधीदल को ऐसा करने का अवसर नहीं दिया गया, उन्होंने संवैधानिक तरीके न

अपना कर साधारण जनता को उत्तेजित कर दिया। जिसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था भंग हो गई और राज्यपाल को लोकहित में यह कार्यवाही करनी पड़ी। विरोधी दल अगर चाहता तो विधान सभा में अपने बहुमत का परिचय दे सकता था। हमने पश्चिम बंगाल में विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया हालांकि वहां हमारे सदस्यों की पर्याप्त संख्या है और हमें राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भी दिया था। (व्यवधान) हमें प्रसन्नता है कि विरोधी दलों ने मिलकर कुछ राज्यों में सरकार बनाई है परन्तु राजस्थान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल ने जो कार्यवाही की है उन्हें उसे करने का अधिकार है। श्री वाजपेयी ने अपने प्रस्ताव में धमकी दी है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन केन्द्र में भी कानून और व्यवस्था की समस्या उठ सकती है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैंने ऐसी किसी प्रकार की धमकी नहीं दी।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : यदि ऐसा नहीं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। परन्तु हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि देश में शान्ति स्थापित करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इसी लिए मैं राजस्थान में राष्ट्रपति के शासन का समर्थन करता हूँ। इस प्रस्ताव में समाचार पत्रों का हवाला दिया गया है परन्तु मेरे विचार में दुर्भाग्य से, समाचार पत्र भी यहां किसी न किसी निश्चित विचार-धारा को लेकर चलते हैं अतः उनसे निष्पक्ष राय नहीं बन सकती। यह तो स्पष्ट है कि यदि विरोधी सदस्यों का बहुमत वास्तव में है तो उनकी सरकार बन ही जायगी।

मैं गोलीकांड का समर्थन नहीं करता परन्तु जब कोई ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और शान्ति भंग होने का खतरा बन जाता है तो ऐसी कार्यवाही करनी पड़ती है जिसका हमें सख्त अफ़सोस है। फिर भी इसकी जांच एक आयोग द्वारा की जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का समर्थन करता हूं और अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमने परिस्थितियों से विवश होकर ही इस अविश्वास प्रस्ताव को सभा के सामने रखा है। केन्द्र सरकार ने सबसे पहला काम राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का किया है। ऐसा करके उन्होंने सबसे बड़ी ग़लती की है। सरकार ने यह कार्यवाही राज्यपाल के परामर्श पर की जिन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। राष्ट्रपति का शासन ठीक उस समय लागू किया गया जब दूसरे दिन विधान सभा सत्र आरम्भ होना था जिसमें विरोधी दलों को अपने शक्ति प्रदर्शन का अवसर मिल सकता था। विश्व भर में राज्यपाल के निर्णय की निन्दा की गई है। राजस्थान में जनता के राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया है और इसीलिए वहां पर इतनी गड़बड़ी हुई। न्यायिक जांच से सब बातों का साफ साफ पता लग जायेगा। कांग्रेस दल ने जनता की अज्ञानता और निर्धनता का अवांछित लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस गद्दी पर जमा रहना चाहती है। हम जानते हैं कि सरकार की कार्यवाही के विरुद्ध जो भी प्रदर्शन किये गये हैं वे शांतिप्रिय थे। अब यह दलील दी जाती है कि वहां पर विधि और व्यवस्था को खतरा था। राज्यपाल ने कांग्रेस के प्रधान का कहना माना है कि बहुसंख्यक दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में यद्यपि कांग्रेस का बहुमत था, फिर भी इसको सरकार बनाने के लिये नहीं कहा गया था। अलग अलग राज्यों के लिए अलग माप अपनाये जाते हैं। जब उड़ीसा सरकार ने घोषणा की कि भूतपूर्व मंत्रि के विरुद्ध जांच की जायेगी और उनके काले कारनामों को जनता के सामने रखा जायेगा तब कांग्रेसी लोगों के दिमागों में डर बैठ गया और उन्होंने कांग्रेस को सत्तारूढ़ बनाये रखने के लिये दूसरा मापदण्ड

अपनाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बहुसंख्यक दल बनाने के लिये निर्दलीय सदस्यों की गणना की गई परन्तु राजस्थान में उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया। यह विधि और नैतिकता के विरुद्ध है। उन्होंने मद्रास का उदाहरण दिया, परन्तु मद्रास में सारे विपक्षी दल संगठित नहीं थे। परन्तु राजस्थान में स्थिति भिन्न है और वहां पर प्रतिपक्षी दल संगठित है और उनको बहुमत प्राप्त है। जैनिंग्स ने कहा है कि बहुसंख्यक के नेता का अर्थ है वह व्यक्ति जिसको सभा में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। श्री लक्ष्मण सिंह महारावल इस शर्त को पूरा करते हैं। इस देश में लोकतन्त्र को समाप्त करने की गहरी साजिश की गई। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल को उसके पद से हटाया जाये। राष्ट्रपति के शासन को समाप्त किया जाये और विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर दिया जाये।

श्री शांति लाल शाह (बम्बई-उत्तर पश्चिम) : श्रीमन, मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्य के शासन को अपने हाथ में ले सकता है, यदि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन से संतुष्ट हो। सभा में किसी ने भी यह नहीं कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने आप को संतुष्ट किये बिना ही यह कार्यवाही की है। किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि प्रतिवेदन में झूठे और निराधार तथ्य हैं। राष्ट्रपति ने उस प्रतिवेदन पर विचार करके यह निर्णय किया है और यह निर्णय करने का राष्ट्रपति को अधिकार है।

राजस्थान विधान सभा में 183 सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं। इनमें कांग्रेस टिकट पर 89 सदस्य निर्वाचित होकर आये हैं। अब भिन्न-भिन्न प्रकार के दावे किये जा रहे हैं जैसे कि कुछ निर्दलीय सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, तथा कांग्रेस टिकट पर निर्वाचित कुछ सदस्यों ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, यह भी कि विभिन्न दलों के सदस्यों ने मिलकर एक दल बना लिया है आर वे बहुसंख्यक होने का दावा करते हैं।

क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति जो एक दल की टिकट पर निर्वाचित होकर आया है उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाये। ऐसा करने से मतदाता का अहित होता है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस को छोड़ सभी राजनीतिक दल यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपना एक संयुक्त दल बना लिया है। यदि उन दलों में कुछ सामूहिक बातें थीं तो उन्होंने चुनावों से पहले ऐसा गठबन्धन क्यों नहीं किया? मैंने विभिन्न दलों के घोषणापत्रों को पढ़ा है और उनमें अनेक परस्पर विरोधी बातें हैं। केवल सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे ऐसा कर रहे हैं। यदि प्रतिपक्षी दल जनता की सेवा करने के लिए सत्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति का शासन समाप्त करने की मांग की बजाय विधान सभा के विघटन की मांग करनी चाहिए थी।

ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल क्या करता है? अनुच्छेद 164 (1) के अन्तर्गत मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी। राजस्थान में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या अन्य दलों के सदस्यों की संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक थी। अत: राज्यपाल द्वारा कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कहा जाना उचित था। निश्चित तिथि से पहले ही वहाँ विधि और व्यवस्था की कठिन स्थिति पैदा हो गई। ऐसी हालत में राज्यपाल को देखना है कि क्या वहाँ पर संविधान के उपबन्धों के अनुसार सरकार चलाई जा सकती है या नहीं। यदि राज्यपाल समझता है कि ऐसा संभव नहीं तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में अपना प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति प्रतिवेदन को पढ़ कर यदि संतुष्ट

हो जाये तो वह उद्घोषणा जारी कर देता है। अतः हमें यह समझना चाहिये कि राज्यपाल में राष्ट्रपति का विश्वास है।

विधान सभा को विघटित नहीं किया गया है केवल निलम्बित किया गया है और सामान्य स्थिति स्थापित होने पर उसको फिर बहाल किया जा सकता है।

Shri Chandra Jit Yadav (Azamgarh) : Inspite of the various allegations made by the hon. Members of the opposition, the people of the Country have reposed their confidence in the Congress Party and cast upon it the responsibility to run the Central Government. On the one hand they say that the independent members have been ignored in Rajasthan while on the other hand they resent as to why the Congress Party have formed the Government in Uttar Pradesh with the help of independents. They use different standards for different purposes. The only motivating factor behind this No-Confidence motion seems to me their craving for power. They say that the Congress is an unprincipled party. I want to know from my hon. friends as to the principles that they have so far adhered. You are trying to forge an alliance with the Swatantra Party, the Communist Party and the S. S. P. to form a Government. They say that the Central Government have utterly disregarded the constitution and the democratic conventions. We have got certain principles and we have to adhere to them. We respected the wishes of the opposition parties and convened the session of the new Parliament just to create healthy Conventions. Is it the murder of democracy ? Is it not an example of our faith in democracy? The Governor had made his recommendations to the Central Government under the provisions of the Constitution regarding the situation created in Rajasthan. Although Governor had recommended for the dissolution of the Assembly yet the Central Government advised only to suspend the Assembly. If the opposition Parties are desirous of forming a Government there they should lend their co-operation in normalising the situation. If we want to strengthen the roots of democracy in this Country we should give up the habit of making charges and counter charges and give a calm Consideration to all the matters keeping in view the prevailing political and economic crisis in the Country.

The electorates by exercising their right of franchise, enabled the formation of Governments of opposition parties in certain States and our Prime Minister in her first public speech after reassuming office of the Prime Minister welcomed this trend of political Consciouness. It is unfortunate that instead of commending this Government they have tabled the motion of no-confidence. Example of Uttar Pradesh has also been cited here. I wish to say that there is no meeting point among the policies and principle of the Jah Sangh, the C. P. I., the Swatantra and the S. S. P., but still in their bid to usurp power they threw all their principles to winds. Since Congress was returned in majority in Uttar Pradesh, the independent members there thought it proper to support the Congress to have a stable Government there. What articles of the Constitution have been violated in it.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : But for the patience and endurance of the people of Uttar Pradesh and the leaders of the oposition parties there, the blood bath of Rajasthan could be repeated in U. P. The 93 members of Rajasthan Assembly who had come here were seen by the President and hon. Home Minister Shri Chavan was also present there. Even after the examination of those members by the President, to say that they will not alter their decision is not justified by any means or manner.

Despite the majority of the opposition members their leader was not called to form the ministry and the invitation was extended to the minority party leader to form the Government. When he was incapable of doing Raj, the Central Government on the strength of its majority advised the President to interfere. Can there be any glaring example of the rape of democracy than this ? 30 or 31 persosns were killed. Small children were made the aim of the bullets. Even teenagers are being plagued with litigations in

Uttar Pradesh. They give the plea that the assembly has only been suspended and not dissolved. If they are suspended even for two months they will come to their senses and know what suspension means to a member. If the rape of the democracy is continued in this manner I warn that the Congress would have marched to its graves, even before the next elections. You should bow your heads in shame for what has happened in Rajasthan The Governor of Uttar Pradesh has shown a partisan attitude in inviting the Congress Party leader to form the Government while the opposition was in majority. That is why we stress time and again that the Governor should be a non-party man. Police force and administrative machinery was used by the Congress Party in Uttar Pradesh to win over Shri Nek Ram Sharma to their side. We want that a judicial probe be held into the way in which the amount of Rs. 65 lakhs of black money has been spent which was collected by Shri C. B. Gupta on his birth day anniversary. Half of that money has been spent in purchasing the members which amounts to political bribery. The President should have intervened to enquire as why the U. P. Government has been formed in this manner. The Central Government deliberately did not intervene in this matter because it knew that U. P. is the Centre of Congress.

Now the days of the Congress are numbered in this Country and its structure has been shattered to pieces by men like Biju Patnayak and C. B. Gupta while Shrimati Indira Gandhi is making desperate efforts to resuscitate it. I want that a Commission of Members of Parliament be appointed to enquire into the political corruption and political bribery that has taken place in Uttar Pradesh. So far as Rajasthan is concerned the parties which command a strength of 93 members should be afforded an opportunity to form the Government. I fully endorse the view expressed by the Maharaja of Bikaner that a Committee be appointed to go into the corruption that took place in the Sukhadia Regime. I hope that the Prime Minister will announce the revocation of President rule in Rajasthan before she replies to the motion of no-confidence.

Shri Jgannath Prasad Pahadia (**Hindaun**) No-Confidence Motion in the Central Government has been brought by the Opposition Parties only after the duly start of the regular business of the House. The motive of this motion is well understood by the address of Shri Atal Behari Bajpayee, the mover of the motion. He has explained nothing except Rajasthan. Perhaps he hopes that with the Co-operation of some of his followers who have been separated, he would gain power in Rajasthan. He has told in his address that what had happened in Rajasthan was illegal and unconstitutional. He accused the Governor for his favourable attitude. He went up to the extent of removing him from his office. He said the opposition parties were in majority and so the Coalition Group should be given a chance to form the government.

There are 184 seats in the Rajasthan Constituent Assembly. Out of these Congress has secured 89, seats Swatantra 49, Jan Sangh 22, and S. S. P. 8. 15 Seats have been secured, by the Independents. There has been controversy with regard to Independent Candidates. Congress has secured 42 % votes this time as compared to 40 % in 1962 elections.

Jaipur is the Capital of Rajasthan. So if any thing happens in Jaipur. it cannot be said to be the will of the people of Rajasthan.

The demonstrations which had been held at Jaipur were going to spread throughout Rajasthan. One of the most responsible opposition members of Rajasthan had sent telegrams to all its branches intimating that either the power would come into our hands on 14th March, 1967 by Constitutional methods or by forceful methods. I would request the hon. Home Minister to please clarify the situation.

I want to know who is putting hurdles in the way of democratic process. The elected members of the Ra'asthan Legislative Assembly have been kept in the fort like prisoners.

They are not allowed to see their relatives. They have been threatend that in case they support the Congress their family and relations would be murdered.

What sort of democracy it is? I have not been able to see so far two of my relations who have been elected to the Legislatlve Asembly of Ra'asthan .

93 members of Rajasthan Assembly were present before the President. No body did count them. Some Constitutional method should be adopted for this. They should have given us a chance to form the government. But they were sure that in that case all their hopes would be dashed to the ground.

All the members of the House are not aware about the true situation in Ra'asthan. Today the Situation in Ra'asthan is normal. But in case any of the party may be invited to form the government whether it may be Congress or joint opposition group the same old tendency of Hooliganism will arise again. I want that an enquiry should be held whether it may be done by the Judge of High Court or of Supreme Court. So that their scheme to get the power forcibly and teasing the policemen unnecessarily many be detected. Article 144 was lifted on an assurance from Smt. Gayatri Devi. As soon as it was lifted there had been brick batting and firing at the policemen. This police was not of Ra'asthan but of U. P. The police fired only in self defence and when they were sure that if the riot is not stopped it would result in deteriorating the condition in Jaipur only but in Rajasthan also.

At that time there was no alternative except this. The leaders of all the parties were present, but no body tried to calm the mob.

Taking into consideration that the people of India would find them in difficulty and there may be blood shed, the President's Rule was imposed :

The situation in Rajasthan has not yet become normal. The President's rule may continue to be imposed till the situation may not become perfectly normal.

Shri Shivchandra Jha (Madhubani) The President's rule in Rajasthan is against the principles of healthy democracy in India. First of all, we should look into the causes of this Situation·Congress lost the majority in Rajasthan. It was the duty of the Governor to invite the opposition to form the government. But instead the Congress party was invited to form the government. When the Congress found itself unable to form the government the President's rule was imposed.

Imposing the President's rule is not a good tendency. There should not be any hurry in this respect.

Therefore, I would like to say that the imposition of President's rule is against the development and the democratic principles of India. It would be in the interest of the Country if it may be lifted and the opposition groups may be given a chance to form the government.

Shri Bhola Nath Master (Alwar) Mr. Chairman, Sir, I belong to Rajasthan. The figure of 35 casualties as a result of firig given by the opposition groups is altogether wrong. In this respect figures given by the newspapers are quite correct. I am not going to say whether the firing in Rajasthan was justified or not but we have to consider the new trends after the general electon of 1967. The elections have not been conducted in peaceful enviorments. Stones were hurled even at the Prime Minister. This trend is meant to encourage violence.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Stones were thrown at the cars of the Ministers and the Government was forced to impose curfew. I thank the Governor of Rajasthan for the way in which he handled the situation in Rajasthan and the correct report of the situation given to the Home

Minister. After receiving the report the Central Government took the necessary and the appropriate step.

We won 89 Seats inspite of the poisonons propaganda of the oppositions. Four of the independents condidates also mentioned in the presence of all the 89 members that they also want to support us. Mr. Sukhadia was elected as our leader. The Governor invited the leader of the Congress party to form the government. In doing so he did not do anything inappropriate.

It has been propogated that the oppositions have not been given a chance to form the government, though the fact is otherwise.

I believe that the motion placed before the House is baseless and I greatly opposed the motion placed by Shri Atal Behari Bajpayee .

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया सदस्य हूँ। मैं आशा करता था कि सभा में चर्चा का स्तर ऊँचा होगा, परन्तु कांग्रेस दल के सदस्य अशिष्ट व्यवहार अपना रहे हैं।

13 मार्च सन 1967 का दिन न केवल भारत वर्ष के इतिहास में अपितु संसार के लोकतन्त्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा। इस दिन जिस प्रकार से राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया उससे बड़ा धक्का लगा। राज्यपाल ने पहले सब असंविधानिक तरीके अपनाने के पश्चात् श्री सुखाडिया को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया यद्यपि उनका दल बहुमत में न था। पहले विधान सभा का सत्र 22 मार्च से होने की आशा थी परन्तु विरोधी दल भारी मांग के कारण विधान सभा का सत्र 14 मार्च को बुलाने पर सरकार सहमत हो गई।

श्री सुखाडिया को जब यह विदित हुआ कि उनके दल को विधान सभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो उन्होंने 13 मार्च को सरकार बनाने से इन्कार कर दिया। राज्यपाल के पास, इन परिस्थितियों में दूसरा संविधानिक तरीका सिर्फ यह था कि विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करें। और यदि विरोधी दल बहुमत प्राप्त करने में असफल हो जाता, या वह सरकार बनाने से इन्कार कर देता तो सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये थे। यह करने के बजाये, राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय की मन्त्रणा पर ऐसा तरीका चुनने का यत्न किया जिससे कि किसी भी प्रकार से विरोधी दल सरकार बनाने में सफल न हो सके और श्री सुखादिया को अपने दल में और सदस्यों को शामिल करने का समय मिल जाये। इन परिस्थितियों में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करने के लिये हर प्रकार के दबाव डाले। जब इसमें वे सफल नहीं हुए तो राज्य पाल ने यहां तक कहा कि निर्दलीय सदस्यों को मान्यता नहीं दी जायेगी यह एक बहुत असंविधानिक बात थी। इसके बावजूद भी श्री सुखादिया सरकार बनाने में सफल नहीं हुए।

दूसरी तरफ इसे मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि विधान सभा के 184 स्थानों में से 89 स्थान कांग्रेस को प्राप्त हुए। इसकी सच्चाई में भी मतभेद नहीं हो सकता कि विरोधी दल के 13 सदस्य राष्ट्रपति के सामने मंच पर पेश किये गये। राष्ट्रपति ने मेरी उपस्थिति में सब सदस्य जो वहां उपस्थित थे से पूछा कि क्या वह सब विरोधी दल के साथ हैं। और क्या वह हृदय से और ईमानदारी से विरोधी दल के साथ हैं। उन सबका एकमत उत्तर 'हां' था। यह सब गृह मन्त्री श्री चव्हाण की उपस्थिति में हुआ और इसकी वास्तविकता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता।

लोकतन्त्र का अभिप्राय क्या है ? लोकतन्त्र में सत्ता पर किसी का चिर स्थायी अधिकार नहीं होता।

जब उन्हें यह विदित था कि उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, विरोधी दल को सरकार बनाने का दायित्व देना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। वह अनुचित तरीके से सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वतन्त्रता की प्राप्ती के बीस साल के अन्तर्गत देश में कितनी बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। देश में कितनी बार कानून और व्यवस्था को तोड़ा गया। 7 और 13 मार्च के बीच राज्य में ऐसी क्या घटना हुई जिसके आधार पर राज्यपाल ने यह घोषित किया कि यहां कानून तथा व्यवस्था टूटने का भय है तथा 13 मार्च को राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया।

यदि जयपुर के किसी खास भाग में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वह क्या वह इस बात की द्योतक है की समस्त राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो गई हैं और स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और विपक्षी दलों को मौका दिये बिना राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाना चाहिये।

यदि इस प्रकार की बातें अब भी जारी रहती है तो मैं यह कहूँगा कि ब्रिटिश तथा कांग्रेस राज्य में क्या अन्तर रह गया। यदि वह जनता के निर्णयों को स्वीकार किये बिना, लोकतन्त्र चलाना चाहते हैं, परन्तु सत्ता को त्यागना नहीं चाहते, तो लोकतन्त्र का अभिप्राय क्या रहा ?

अतः मैं यह अनुभव करता हूँ कि राज्यपाल ने संविधान के सिद्धान्त तथा निष्पक्ष व्यवहार का हनन किया है और उनको राज्यपाल के पद से हटाकर विपक्षी दलों को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिये।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि राज्यपाल, अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति, जो कि इतने उच्च पदों पर हैं, पक्षपात का रवैया अपनाते हैं तथा जनता के लोकतंत्रात्मक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो लोकतन्त्र का भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है। राजस्थान में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह अनुभव करता हूँ कि कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। नियमों तथा संविधान का पुनःकल्पन होना चाहिये। सत्ता रूढ़ दल के सदस्य राज्यपाल, अध्यक्ष और राष्ट्रपति न चुने जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह पारित हो जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I rise to speak on this motion even though I am not well today. I am worried about the fact that Congress party is loosing its ground but no other party is coming forward to hold the reins of the Government. So far Congres and Government were considered to be one and the same thing. But this time the things have turned to be difîfferent. The motion under consideration is the result of efforts being made by Congress to hold the ground in Rajasthan. 93 members of Rajasthan State Assembly come here physically to express the high handedness of Congress there. Congress Party proposes to do same thing in U. P. and other States, if their experiment proves to be successful in Rajasthan. I may say that Congress could secure only one seventh of votes in Rajasthan and that party is now anxious to form Government in that State, which looks quite funny. I do not find any logic for not treating the independent members at par with the members belonging to the political parties.

Then the Congress members claim that they have a uniformity of view. I do not deny this fact that we have different views and I wish if we all could have uniform ideas. They criticise former rulers but they do so only when the ex-ruler has been elected on a non-congress ticket. They themselves do favour to the ex-rulers. They will be released earlier even if arrested on the same charge alongwith the general public. Their ideology may be one but their

views always differ. If their views donot differ why can't they bring parity among masses. We want to put an end to privileged class and bring all the citizens at par. I do not consider any body higher than Mahatma Gandhi (Interruptions) In the general elections about 200 persons were there to contest elections who belong to old or new dynasties and there were only few persons amongst them who were considered to be capable and they are not going to bother whether the nation goes to dogs. These exrulers will try to bring the democracy to an end. But I can say that the result will be otherwise. I may mention another point regarding so called uniformity in the views of Congress party. Shri Morarji Desai visited England when he was Finance Minister previously. During the course of his visit he happened to have a look at an account of foreign exchange in the name of former Prime Minister. In fact in such a case prosecution should have been launched and the person concerned brought to book but it was overlooked.

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा के नियमों के अनुसार ऐसे आरोप लगाने से पूर्व लिखित रूप में अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। अत: इन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। **(व्यवधान)**

Dr. Ram Manohar Lohia : There is uuanimity in their views. They compelled Svetalana to quit India but the real culprit like Dharam Teja is still at large. These are not simple allegations but are proved facts. (Interruptions).

I would say that in democracy one has to hear his opponents patiently. You cannot bully the opposition party like this. The Prime Minister is used to receive Diamonds from foreign diginatories. This is an established fact. These diamonds are displayed in an exhibition for a week and thereafter deposited in the bank. We do not know whether the Diamonds deposited in the bank are same original Diamonds or the changed ones, because any thing can happen during the course of 7 days.

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : मैं इन आरोपों का जोरदार शब्दों में खण्डन करती हूँ।

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऐसे आरोप पहले भी लगाए गए हैं। उन पर विनिर्णय भी दिए गए हैं। यदि कोई माननीय सदस्य किसी अन्य माननीय सदस्य के विरुद्ध अस्पष्ट और प्रमाण रहित ऐसे आरोप लगाता है जिस से सब ओर भ्रष्टाचार का वातावरण बन जाय तो ऐसे आरोप लगाने से पूर्व उसे लिखित सूचना देनी चाहिये। यदि वह ऐसा नहीं करता तो इस सारी कार्यवाही को सभा की कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। **(व्यवधान)**।

Shri Madhu Limaye : Shri Khadilkar is perhaps referring to Rule 353 which is as under :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply".

But in this case the Hon'ble member has said something about the Prime Minister herself and not anybody else. Moreover these are said to be facts and not simple allegations. These points should be answered properly. (**Interruptions**)

श्री खाडिलकर : अब मुझे विनिर्णय बताना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं नियम 352 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है।

"बोलते समय कोई सदस्य—

(1) किसी ऐसे तथ्य विषय का निदेश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो;

(2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोप नहीं करेगा;

और सब से अन्त में नियम 353 जो इस प्रकार है।

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो..." आदि

हमने पिछले सत्र में भी ऐसे आरोप सुने थे और उनका खण्डन किया था। इस खण्डन के बावजूद ये आरोप फिर लगाये जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय चाहता हूँ कि जब तक आरोप लगाने वाला सदस्य अपने आरोपों को प्रमाणित न कर सकता हो, उन्हें सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै : इस विषय में 1965 में लोक सभा में विनिर्णय पहले ही दिया जा चुका है। श्री विद्याचरण शुक्ल ने श्री अ० कु० गोपालन के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए थे जिनकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं श्री अ० क० गोपालन तथा श्रीमती गोपालन जेल में थे। तब भी यही नियम उद्धरित किए गये थे परन्तु सभा की कार्यवाही से कुछ भी नहीं हटाया गया था। श्री गोपालन ने अध्यक्ष महोदय को उन आरोपों का खण्डन करते हुए एक पत्र भी लिखा था पर उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : गोपालन पर जब आरोप लगाये गए थे तो उस समय प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। यह कहा गया था कि ये आरोप झूठे हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि ये आरोप झूठे प्रमाणित हुए तो इन्हें सभा की कार्यवाही से हटा दिया जायगा। मैंने दस्तावेज प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया था कि आरोप सही हैं और इसीलिए वे सभा की कार्यवाही से नहीं हटाए गये थे।

श्री उमानाथ : आप ने श्री० अ० क० गोपालन को पूर्व सूचना नहीं दी थी और अब आप इस विशेषाधिकार के लिये नहीं कह सकते।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सूचना देने का कोई उपबन्ध नहीं। अध्यक्ष महोदय ने आरोपों को प्रमाणित पाकर उन्हें सभा की कार्यवाही से नहीं निकाला।

अध्यक्ष महोदय : नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक सदस्य को दूसरे सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं लगाने चाहिये। हमें स्वस्थ परम्परा का अनुसरण करना चाहिए। यदि आरोप लगाए जाएं तो उनका पर्याप्त प्रमाण भी देना चाहिये। मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसी परम्परा का पालन करें।

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : राज्य सभा में जो बात कही गई थी मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। राज्य सभा में हीरों के हार के बारे में आरोप लगाया गया था मैंने कहा था कि विदेशी महानुभाव रिवाज के तौर पर उपहार देते हैं। कुछ उपहार कीमती भी होते हैं। यह ठीक है कि साउदी अरब के बादशाह ने मुझे हीरों का हार भेंट किया था। परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार के नियम स्पष्ट हैं। हम ऐसे उपहार अपने पास नहीं रखते। वे 'तोषाखाना' के हवाले कर दिए जाते हैं। यह चीज क्योंकि बहुत कीमती थी, यह रिजर्व बैंक को दे दी गई थी।

यहां यह आरोप लगाया गया है कि पूरा हार नहीं दिया गया था। मैं इस आरोप का खंडन करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :—सभा अब सोमवार के 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 20 मार्च 1967 / 29 फाल्गुन 1888 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 20, 1967 / Phalguna 29, 1888 (Saka).